

बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 154768 पटना,
प्रेषक, ग्रा.वि. 7(अं.) - 33/2013

दिनांक 08-07-2013

अमृत लाल मीणा,
सचिव ।

सेवा में,

प्रबंध निदेशक,
कॉम्पेड, पटना ।

विषय :- मनरेगा के अंतर्गत किसानों की निजी भूमि पर परिसम्पत्तियाँ सृजित करने के संबंध में ।

महाशय,

मनरेगा के अंतर्गत किसानों की निजी भूमि पर परिसम्पत्तियाँ सृजित करने का प्रावधान किया गया है ।


2. इस संबंध में विभाग के स्तर से जिला को निर्गत दिशानिर्देश तथा मानक प्राक्कलन पुस्तिका की प्रति आपके संदर्भ के लिए संलग्न है ।

3. इसमें से अनेकों कार्य दुग्ध उत्पादक किसानों के लिए उपयोगी हो सकते हैं, जैसे:- NADEP कम्पोस्ट, वर्मी कम्पोस्टिंग, उनजोला निर्माण, मवेशी प्लेटफार्म, यूरिन टैंक आदि ।

4. अनुरोध है कि इन प्रावधानों का अध्ययन करवा लिया जाय और प्रशिक्षण के माध्यम से प्रावधानों के बारे में किसानों को अवगत कराने की व्यवस्था करने की कृपा की जाय।

5. दुग्ध उत्पादक सहयोग समितियों के माध्यम से इन गतिविधियों को व्यापक पैमाने पर प्रचारित किया जा सकता है । इस विभाग से यदि किसी प्रकार की सहयोग की अपेक्षा हो तो अवगत कराया जाय ।

विश्वासभाजन


(अमृत लाल मीणा)
सचिव

जापांक _____ दिनांक _____

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।


सचिव